

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 फरवरी 2010—माघ 12, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2010

क्र. (1)बी-1-35-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, रॉयल इंडियन रेल टूरस लिमिटेड, जो मध्यप्रदेश में से होकर गुजरने वाली महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन में बार चलाएगी, को उक्त अधिनियम की धारा 9, 10, 16 तथा 17 के अधीन मदिरा के परिवहन, आधिपत्य तथा अनुज्ञापन के उपबंधों से इन शर्तों के अधधीन रहते हुए मध्यप्रदेश राज्य के भीतर छूट प्रदान करती है कि ट्रेन (रेल) के बाहर तथा ट्रेन के वास्तविक यात्रियों के सिवाय किसी व्यक्ति को मदिरा की आपूर्ति नहीं की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2010

क्र. (1)बी-1-35-2009-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. (1)बी-1-35-2009-2-पांच, भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st February 2010

No.(1)B-1-35-2010-2-V.—In exercise of the powers conferred by Section 66 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government, hereby, exempts the Royale Indian Rail Tours Limited which will run a bar in Maharaja Express Train which passes through Madhya Pradesh, from the provisions of transport, possession and licensing of liquor under sections 9, 10, 16 and 17 of the said Act, within Madhya Pradesh subject to the conditions that liquor shall not be served out of the train and to the persons other than the bonafide passengers of the train.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

